न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 148 सन 2019

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र जीराम उर्फ जेराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोमन पुत्र जीराम उर्फ जेराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हिराराम 3 राजेराम 4 श्योकरण 5 शेराराम 6 सन्तलाल पि0 हजारीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. केसर पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर ।
8. केसर पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
9. सुनिल कुमार उर्फ सरेन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. रूकमा 11 सरला 12 अनुसूईया पुत्रीयान रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13 नत्थुराम 14 नाथी उर्फ राजबाला पि0 राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
15. मेसर जोजा शेराराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
16. महावीर 17 बीरबल पि0 हीराराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
18. भागी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
19. सजना जोजा सन्तराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
20. झीमा जोजा श्योकरण जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनगढ

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 , 88 के अन्तर्गत

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 के खसरा न0 93 की 1.9470हैक खसरा न0 94/3.0730 ,95/3.3510 ,96/1.1630 ,171/10.1670 ,172/6.7140 ,173/6.8670हैक कुल 33.2820 हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 5.547हैक , प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का 8/27 हिस्सा धापी पत्नि हजारी फोत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 मौजुद है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 का 1/27 हिस्सा प्रमेश्वरी जोजा राजाराम फोत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ,14 मौजुद है प्रतिवादी संख्या 13 ,14 ,15 व प्रतिवादी संख्या 7 केसर का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 व 18 तीनों बहिब 1/18 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 19 ,20 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादीगण ने जो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है ने आपसी सहमति से सयुक्त खातें की भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज ना होकर सयुक्त खाता में दर्ज जिससे सीव लगान का विवाद रहता है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदार हकों का

हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सयुक्त खाता में दर्ज भूमि को बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की सयुक्त खाता में दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के मध्य बाहमी बटवारा हो चुका है उसी के अनसुार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 21 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 के खसरा न0 93 की 1.9470हैक खसरा न0 94/3.0730 ,95/3.3510 ,96/1.1630 ,171/10.1670 ,172/6.7140 ,173/6.8670हैक कुल 33.2820 हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 5.547हैक , प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का 8/27 हिस्सा धापी पत्नि हजारी फोत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 मौजुद है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 का 1/27 हिस्सा प्रमेश्वरी जोजा राजाराम फोत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ,14 मौजुद है प्रतिवादी संख्या 13 ,14 ,15 व प्रतिवादी संख्या 7 केसर का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 व 18 तीनों बहिब 1/18 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 19 ,20 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादीगण ने जो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है ने आपसी सहमति से सयुक्त खातें की भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज ना होकर सयुक्त खाता में दर्ज जिससे सीव लगान का विवाद रहता है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदार हकों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 के खसरा न0 93 की 1.9470हैक

खसरा न0 94/3.0730 ,95/3.3510 ,96/1.1630 ,171/10.1670 ,172/6.7140 ,173/6.8670हैक कुल 33.2820 हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 5.547हैक , प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का 8/27 हिस्सा धापी पत्नि हजारी फोत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 मौजुद है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 का 1/27 हिस्सा प्रमेश्वरी जोजा राजाराम फोत हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ,14 मौजुद है प्रतिवादी संख्या 13 ,14 ,15 व प्रतिवादी संख्या 7 केसर का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 व 18 तीनों बहिब 1/18 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 19 ,20 दोनो बहिब 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण या उनके पूर्वज मुश्तरका खाते में दर्ज है धापी पत्नि हजारी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है इसी प्रकार प्रमेश्वरी जोजा राजाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारीसान प्रतिवादी संख्या 13 ,14 है धापी एवं प्रमेश्वरी के देहान्त होने पर उसके वारिसान अपने नाम से अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 का बाहमी बटवारा हो चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद को स्वीकार किया गया है एवं पूर्व में हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज करवाने में सहमति दी गई है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 की कुल 33.2820हैक भूमि में वादी हरलाल खसरा न0 173/2 की 3.795हैक , खसरा न0 93/2 की 1.752 हैक कुल 5.547हैक भूमि , प्रतिवादी संख्या 1 मोमन 5.547हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बहिब 9.861हैकभूमि प्रतिवादी संख्या 8 केसर व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 बहिब 1.233हैक , प्रतिवादी संख्या 13 ,14 मृतक प्रमेश्वरी के वारिसान व प्रतिवादी संख्या 15 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब 5.547हैक , प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब 1.849हैक प्रतिवादी संख्या 19 ,20 बहिब 3.698हैक भूमि खसरा न0 93/1 की 0.195व खसरा न0 94/3.073हैक खसरा न0 95 की 3.351हैक व खसरा न0 173/1 की 3.072हैक कुल 27.735हैक के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र जीराम उर्फ जेराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मोमन पुत्र जीराम उर्फ जेराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. हिराराम 3 राजेराम 4 श्योकरण 5 शेराराम 6 सन्तलाल पि0 हजारीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

7. केसर पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर ।
8. केसर पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
9. सुनिल कुमार उर्फ सरेन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. रूकमा 11 सरला 12 अनुसूईया पुत्रीयान रामलाल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

13 नत्थुराम 14 नाथी उर्फ राजबाला पि0 राजाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर

15. मेसर जोजा शेराराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
16. महावीर 17 बीरबल पि0 हीराराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
18. भागी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
19. सजना जोजा सन्तराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
20. झीमा जोजा श्योकरण जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनगढ

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 148 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 147/139 की कुल 33.2820हैक भूमि में वादी हरलाल खसरा न0 173/2 की 3.795हैक , खसरा न0 93/2 की 1.752 हैक कुल 5.547हैक भूमि , प्रतिवादी संख्या 1 मोमन 5.547हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बहिब 9.861हैकभूमि प्रतिवादी संख्या 8 केसर व प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 बहिब 1.233हैक , प्रतिवादी संख्या 13 ,14 मृतक प्रमेश्वरी के वारिसान व प्रतिवादी संख्या 15 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब 5.547हैक , प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब 1.849हैक प्रतिवादी संख्या 19 ,20 बहिब 3.698हैक भूमि खसरा न0 93/1 की 0.195व खसरा न0 94/3.073हैक खसरा न0 95 की 3.351हैक व खसरा न0 173/1 की 3.072हैक कुल 27.735हैक के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)